



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **26-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1. नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-

अवगत कराना है दिनांक 15.07.2025 को वादिनी निवासी थाना कांठ क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0-189/2025 धारा-137(2) पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में लड़की को सकुशल बरामद करते हुये साक्ष्य संकलन/बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-65(1)/87 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। दिनांक 25.08.2025 की रात्रि को उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी मौ0 इम्तियाज पुत्र हैदर अली निवासी पुरानी ईदगाह कस्बा व थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार आरोपी:-

मौ0 इम्तियाज पुत्र हैदर अली निवासी पुरानी ईदगाह कस्बा व थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना कांठ, मुरादाबाद।

हे0का0 राहुल देव थाना कांठ, मुरादाबाद।

2-हमसाज होकर गाली-गलौज, मारपीट करते हुये हथियारों से एक-दूसरे पर हमला करने तथा अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है दिनांक 23.08.2025 को उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना पाकबड़ा ने अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर एक-दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए, घातक हथियारों के साथ आकर मारपीट करने व एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हुए एक-दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करने जिससे आम जनता में भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो जाने के संबंध में थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-223/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/125 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे से संबंधित आरोपी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ प्रसारित थी, जिसका संज्ञान लेते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त थाना प्रभारी पाकबड़ा ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी सफी उर्फ तौफीक पुत्र छोटे नि0 राजा की मुदिया थाना बिलारी, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा-7/25(2) आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।



गिरफ्तार आरोपी:-

सफी उर्फ तौफीक पुत्र छोटे नि0 राजा की मुदिया थाना बिलारी, मुरादाबाद

बरामदगी:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद।

2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद।

3. उ0नि0 श्री जनक सिंह थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद।

4. हे0का0 बसन्त कुमार थाना पाकबडा, मुरादाबाद ।

5. का0 मनीष कुमार थाना पाकबडा, मुरादाबाद ।

3-जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 04 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा 04 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विवरण वारंटी:-

थाना बिलारी-

1. हरपाल पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम गुलडिया थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद संबंधित मुकदमा नं0 247/13 अ0सं0 परिवाद धारा 323/504/506 भादवि
2. महेश पुत्र गंगाराम निवासी आटे की मढैया थाना बनियाठेर जनपद संभल संबंधित मुकदमा नं0 20040/20 अ0सं0 429/19 धारा 406 भादवि को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय



शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरण:-

थाना भगतपुर-02, थाना सोनकपुर-01, थाना बिलारी-01

